

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 17, गुरुवार, शके 1948- मई 07, 2026 Vaisakha 17, Thursday, Saka 1948- May 07, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 18, 2025

संख्या प.9(99)राज-1/2023-22055:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **प्रतापगढ़ जिले की तहसील धरियावद** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या--7 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या--9 के अनुसार होगा:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	क्षेत्रफल (है. में)	ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	क्षेत्र फल (है. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	प्रतापगढ़ / धरियावद	पहाड़ा / पहाड़ा	पहाड़ा LG Code 107889	3858	1895.76 72	उपलाकोटा Uplakota	1120	299.8 528	4	1595.9144

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,
हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

1637

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।